न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2024

अनवान : –

1. सोनू पुत्री ओमप्रकाश पत्नि रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील रावतसर हाल आबाद 8 डी.बी.एल. डबली खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी 8 डी.बी.एल. डबली खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. ईश्वर पुत्र गिरदावरी जाति मेघवाल निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. सरोज पुत्री गिरदावरी पत्नि विनोद जाति मेघवाल निवासी डबली खुर्द तहसील टिब्बी
4. कविता दत्तक पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील रावतसर
5. जसवन्ती पत्नि स्व. बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर
6. तेजाराम पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर
7. सन्तलाल पुत्र हरदयाल जाति मेघवाल निवासी कानसर तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
9. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 27/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/4 की 12.6460 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण पिता ओमप्रकाश प्रतिवादी सं. 1 व गैरसायलान के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में सायला के दादा हरदयाल पुत्र सावलाराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद के उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा गैरसायल सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/4 की 12.6460 हैक्टर भूमि में से गैरसायल सं. 1 के हिस्से 1/5 हिस्सा भूमि हिस्से में आई। गैरसायल सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायला का गैरसायल सं. 1 के साथ जन्म हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/4 की 12. 6460 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में सायला अकेली 1/20 हिस्सा, एवं गैरसायल सं. 1 अकेला 1/20 हिस्सा, एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 10 अकेली 1/20 हिस्सा एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 11 अकेली 1/20 हिस्सा एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीया सं. 12 अकेली 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त हक व हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि सायला राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारिणी है। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/4 की 12.6460 हैक्टर भूमि के सायला के पिता गैरसायल सं. 1 व गैरसायलान सं. 2 ता 7 का खाता व लगान सयुक्त तौर से है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर पर है वाद भूमि की सींव–डोल लगान बाबत सायला व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 का अन्य गैरसायलान से

Rahul

गैरसायल सं. 1 से तनाजा बना रहता है रोज झगड़ा फसाद होता है इसलिए सायला वाद भूमि का खाता व लगान अच्छी में से अच्छी व मंन्दी में से मन्दी के हिसाब से अलहदा–अलहदा करवा पाने की अधिकारिणी है। उपरोक्त आशयों की सायला घोषणा करा पाने की अधिकारिणी है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से है एवं सायला एक औरत जात है तथा गैरसायल सं. 1 व सायला व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 10 ता 12 एक मात्र पुत्री है गैरसायल सं. 1 जो कि शराब व कवाबी व्यक्ति है तथा नशे का आदि है तथा अपने आदतो को पुरा करने के लिए वाद भूमि रहन/बैय करने पर आमादा है। गैरसायल सं. 1 लालच वंश अच्छी किस्म की भूमि को अन्यत्र रहन/बैय करने पर आमादा है जबकि सायला ने अपनी भूमि को उपजाउ व उम्दा बनाने के लिए काफी मेहनत व श्रम तथा धन खर्च किया है इसलिए खाता विभाजन से पूर्व गैरसायल सं. 1 सायला की अच्छी किस्म की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है और इस प्रकार गैरसायल सं. 2 व 3 भी वादीया के साथ ही काश्त करते है और वह भी उक्त भूमि का अन्यत्र बैचान करने की फिराक में है, सायला की सुधारी हुई भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसलिए सायला जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान सं. 1 ता 3 को पाबन्द करापाने की मजाज है कि वाद भूमि का खाता व लगान से पूर्व वाद भूमि किसी स्ट्रेन्जर व्यक्ति को बैचान करने/फरोख्त करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 748/729 के ख0न0 23/4 की कुल 12.6460 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि में भजनलाल का केवल 1/7 हिस्सा था शेष हिस्सा भजनलाल को अपनी बहनों से प्राप्त हुआ है इसलिए 1/7 भूमि के अलावा शेष भूमि गैरसायल के पिता की स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें सभी का 1/21 हिस्सा भूमि बनती है लेकिन शिलो पर अपने पिता की हत्या का आरोप है एवं मुकदमा दर्ज है हिन्दु विधि अनुसार हत्या का आरोपी अपने पिता की भूमि में हक पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीया द्वारा गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/[illegible] 12.6460 हैक्टर भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि [illegible] नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है अतः अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया के हिस्सा हेतु अप्रार्थी स0 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है जबकि प्रार्थीया अप्रार्थीगण स0 2 ता 7 को भी पाबन्द करवाना चाहती है एवं प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थी स0 2 ता 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं इनके द्वारा बिना विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी केतागणों को बैय किया जा रहा है परन्तु संयुक्त खाता में दर्ज कोई भी खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:41 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार अपने हक हिस्सा को रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि सयुंक्त खाता मे दर्ज खातेदार द्वारा अपने हक हिस्सा को रहन, बैय किया जा रहा है न की विशेष हिस्सा को अत अप्रार्थीगण स0 2 ता 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सं. 748/729 के ख.न. 23/4 की 12.6460 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीया के हिस्सा की भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं न्याययलय हाजा द्वारा अप्रार्थी स0 2 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 06.03.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/02/26 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:37:41 IST
Reason: SelfAttested